"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2018 — फाल्गुन 14, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 5 मार्च 2018 — फाल्गुन 14, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 647/1043/2018/1/5/का. आ. (अ).— राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

क्रम सं. (1)	राज्य (2)	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या (3)	निवृत्ति की तारीख (4)
1.	आंध्र प्रदेश	3	02-04-2018
2.	बिहार	6	02-04-2018
3.	छत्तीसगढ़	1	02-04-2018
4.	गुजरात	4	02-04-2018
5.	हरियाणा	1	02-04-2018

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	हिमाचल प्रदेश	1	02-04-2018
7.	कर्नाटक	4	02-04-2018
8.	मध्य प्रदेश	5	02-04-2018
9.	महाराष्ट्र	6	02-04-2018
10.	तेलंगाना	3	02-04-2018
11.	उत्तर प्रदेश	10	02-04-2018
12.	उत्तराखण्ड	1	02-04-2018
13.	पश्चिमी बंगाल	5	02-04-2018
14.	ओड़िशा	3	03-04-2018
15.	राजस्थान	3	03-04-2018
16.	झारखण्ड	2	03-05-2018

हस्ता./-
(डॉ. रीटा वशिष्ट)
अपर सचिव.

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 5th March 2018 — Phalguna 14, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 647/1043/2018 /1/5/S. O. (E).— In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the numbers of member (s) specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seat (s) of member (s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office :-

S. No. (1)	State (2)	No. of seats to be filled (3)	Date of retirement (4)
1.	Andhra Pradesh	3	02-04-2018
2.	Bihar	6	02-04-2018

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Chhattisgarh	1	02-04-2018
4.	Gujarat	4	02-04-2018
5.	Haryana	1	02-04-2018
6.	Himachal Pradesh	1	02-04-2018
7.	Karnataka	4	02-04-2018
8.	Madhya Pradesh	5	02-04-2018
9.	Maharashtra	6	02-04-2018
10.	Telangana	3	02-04-2018
11.	Uttar Pradesh	10	02-04-2018
12.	Uttarakhand	1	02-04-2018
13.	West Bengal	5	02-04-2018
14.	Odisha	3	03-04-2018
15.	Rajasthan	3	03-04-2018
16.	Jharkhand	2	03-05-2018

Sd/-
(Dr. Reeta Vasishta)
Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.